

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
संख्या:एमई-3/पीजी-2021/ 370 लखनऊ:दिनांक 14 फरवरी, 2022

**यू0पी0 नीट पी0जी0-2021 (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0)
के अन्तर्गत सिक्योरिटी धनराशि जमा किये जाने की तिथि के विस्तारण
के सम्बन्ध में सूचना।**

कार्यालय के संज्ञान में आया है कि यू0पी0 नीट पी0जी0-2021 के अन्तर्गत कुछ अभ्यर्थी अपनी सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं कर पाये हैं, ऐसी स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि 16.02.2022 तक विस्तारित की जाती है।

सिक्योरिटी धनराशि के सम्बन्ध में समय-समय पर महत्वपूर्ण सूचना /दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं, किन्तु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शंकाओं के समाधान स्वरूप जनहित/छात्रहित में निम्नांकित बिन्दु अवलोकनीय है :-

- ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं की हैं वह अपनी सिक्योरिटी धनराशि जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में जमा कर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त हुआ था, किन्तु उनके द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है, वह पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियों को सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे समस्त अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरावटन(Reshuffle) हेतु अर्ह हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग में आवंटन प्राप्त होने के फलस्वरूप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रवेशित सीट से त्याग-पत्र दे दिया है और वह पुनः द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते, तो वह अभ्यर्थी पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा कर काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।

Fr 
महानिदेशक